न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/05/2024	2024/11	05.03.2024	30.04.2024

1. राजाराम पुत्र श्री कजोडमल मीना जाति मीना उम्र करीब 45 साल निवासी ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ जिला अलवर राज०

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीराम पुत्र श्री कजोडमल मीना जाति मीना उम्र करीब 43 साल निवासी ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ जिला अलवर राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ हाल तहसील रैणी जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्टान

अपील बनाराजी तजबीज तहसीलदार महोदय राजगढ हाल रैणी दिनांक 02.12.2004 इन्तकाल बय 145 जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ हाल रैणी का रैस्पाडेन्ट के नाम गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किया गया जबकि उक्त आराजी मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट ने खरीद की हैं लेकिन इन्तकाल बय तन्हा रैस्पाडेन्ट के नाम गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किया गया। बमुराद मंसुखी तजबीज तहत अदालत व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट व उक्त इन्तकाल में मिन अपीलान्ट का नाम भी दर्ज किये जाने के बाबत ।

उपस्थितः–

01. श्री मुरारीलाल मीना – वकील अपीलाण्ट
02. श्री नवल शर्मा – रेस्पोडेन्ट संख्या 01
03. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट संख्या 02

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार महोदय राजगढ दिनांक 02.12.2004 इन्तकाल बय 145 जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ हाल रैणी का रैस्पाडेन्ट के नाम गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के बाला बाला गलत तरीक पर उक्त आदेश दिनांक 02.12.2014 फरमाया है जिसका इल्म मिन अपीलान्ट को तारीख 07–02–2024 को हुआ इल्म होने पर मिन अपीलान्ट ने तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अदालत से उक्त इंतकाल की नकल प्राप्त करने के लिए उसी दिन तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल फैसला दिनांक 07.02.2024 को मिली। नकल इंतकाल मिलने पर वकील साहेबान से सलाह व मश्वरा लिया जिन्होंने अपील दायर करने की हिदायत दी। मिन अपीलाण्ट ने गांव में जाकर रूपयों पैसों का इंतजाम किया जिसमें समय लग गया इसलिए बिला देरी के अपील पेश की जा रही है। उक्त देरी के बावत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलान्ट ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है व उक्त देरी काबिल माफी है। अपील हाजा पर कोर्टफीस 2/– रू. व तलवाना 2/– रू. नरपा है। तजवीज तहसीलदार साहब राजगढ़ होने से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान् है। तजवीज अदालत मातहत बेजा व खिलाफ मंसाय कानून व रूएदार मिसल महज कयासया है। जो काबिल मंसुखी है। आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 41 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ में हैं जो आराजी मुतनाजा को मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 ने खरीद किया हैं मिन अपीलान्ट तहत अदालत में पक्षकार नही था तहत अदालत के निर्णय से मिन अपीलान्ट के हक हकूक खातेदारी जायल होते हैं। इसलिए मिन अपीलान्ट को अपील दायर करने के लिए इजाजत दी जावे। जिस बावत प्रार्थना पत्र जेर दफा 96 जा०दी० अलग से पेश है। उक्त आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ़ बीलेटा तहसील राजगढ़ हाल रैणी में हैं उक्त आराजी मुतनाजा को जरिये बयनामा मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 ने सुकल्या पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी बाढ बीलेटा हाल निवासी चील का बास तन बहाली तहसील राजगढ से दिनांक 17.11.2004 को खरीद की व उक्त बयनामा उप पंजीयक महोदय राजगढ से दिनांक 17.11.2004 को पंजीबद्ध किया गया। बाद खरीद उक्त आराजी पर मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 बहैसियत खरीददार के काबिज दखिल है पक्षकारान आपस में भाई–भाई है। उक्त आराजी का इन्तकाल बय दर्ज व स्वीकार करने के बाबत तहत अदालत में प्रार्थना पत्र उक्त रैस्पाडेन्ट नंबर 1 ने गलत तरीक पर पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर तहत अदालत ने रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के पक्ष में आराजी मुतनाजा का इन्तकाल बय दर्ज व स्वीकार कर दिया। जबकि आराजी मुतनाजा मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 ने खरीद की है। तहत अदालत ने उक्त आराजी मुतनाजा के बाबत रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किया उक्त इन्तकाल बय के आधार पर रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त आराजी मुतनाजा के बाबत रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम इन्द्राज होता रहा है। उक्त आराजी खसरा 41 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ हाल रैणी का इन्तकाल बय के तहत उक्त नम्बरान में रैस्पाडेन्ट नंबर 1 का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में आया है जो गलत है। जबकि आराजी मुतनाजा को मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 ने जरिये बयनामा खरीद की हैं। लेकिन सहबन से इन्तकाल बय में मिन अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया जबकि तहत अदालत ने सहबन से उक्त इन्तकाल में रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम दर्ज कर दिया है। जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 आराजी मुतनाजा में शामलात में काबिज दाखिल है व शामलात मे काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए उक्त इन्तकाल बय में मिन अपीलान्ट का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (सज०)

नाम दर्ज किया जाना अतिआवश्यक हैं इसलिए मौजूदा अपील मिन अपीलान्ट की ओर से पेश की जा रही है। मिन अपीलान्ट को उक्त गलत इन्तकाल बय का इल्म तारीख 07.02.2024 को तब हुआ जब मिन अपीलान्ट आराजी मुतनाजा पर लोन लेने बैंक में गया जब बैंक के अधिकारीगण ने कहा कि तुम्हारे नाम आराजी मुतनाजा नही हैं जिससे तुम्हे लोन नही मिल सकता है। जिससे मिन अपीलान्ट ने उसी दिन नकल इन्तकाल मिलने के लिए पेश किया जो नकल इन्तकाल तारीख 07.02.2024 को मिली। ताईद में फोटो कॉपी बयनामा आराजी मुतनाजा दिनांक 17.11.2004 पेश है। जिस बयनामे में आराजी मुतनाजा को मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 ने खरीद किया है। जो पेश है। आराजी मुतनाज़ा को मिन अपीलान्ट व रैस्याडेन्ट नंबर 1 ने खरीद की हैं वो आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 शामलात में काबिज दखिल हैं व काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन इन्तकाल बय रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम दर्ज हो जाने के कारण रैस्पाडेन्ट नंबर 1 आराजी मुतनाजा को दीगर शख्स के हक में रहन बय आदि करने पर उत्तारू है व मिन अपीलान्ट को कुल पैदावार सम्बन्धी कार्य करने में रूकावट व मजाहमत करता हैं। जिससे रैस्पाडेन्ट को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। दीगर ऐतराजात वक्त समाअत बहस सेवामें ओर अर्ज किये जावेगें। अपील अपीलान्ट मंजूर फरमायी जाकर उक्त इंतकाल बय संख्या 145 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ हाल रैणी का इन्तकाल रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के नाम दर्ज व स्वीकार किया है व इसी आधार पर कागजातमाल मे इन्द्राज हुआ हैं व उक्त आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 41 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ हाल रैणी कायम हुए जिसमें भी उक्त इन्तकाल बय के तहत इन्द्राज कागजात माल में हुआ है। रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के साथ मिन अपीलान्ट का उक्त इंन्तकाल बय व इन्तकाल बय के तहत कागजात माल में रैस्पाडेन्ट का नाम आया है रैस्पाडेन्ट नंबर 1 के साथ मिन अपीलान्ट का नाम दर्ज व स्वीकार किया जावे व रैस्पाडेन्ट नंबर 1 को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा को किसी दीगर जगह रहन बय आदि ना करे व पैदावार कुल संबंधी कार्य करने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें व मौके की स्थिति यथावत कायम रखी जावे व अपील अपीलान्ट मंजूर की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। अपील में तथ्यनिहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिला किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (सज०)

गया। खरीद पत्र/बयनामा दस्तावेज में दोनों पक्षकार राजाराम पुत्र कजोडमल एवं श्रीराम पुत्र कजोडमल दर्ज हैं। बयनामा में अंकन है। राजस्व रिकॉर्ड नामांतकरण का मिलान किया। बयनामा के आधार पर जो नामान्तकरण भरा गया है वो एक पक्षकार श्रीराम के नाम पर किया है। जो उचित नहीं है। बहस में आये तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार राजगढ हाल रैणी के आदेश दिनांक 02.12.2004 द्वारा स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 145 वाके ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ हाल रैणी को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट प्रमाणित होने से स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट प्रमाणित होने से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार राजगढ हाल रैणी द्वारा पारित/तस्दीक नामांतकरण संख्या 145 दिनांक 02.12.2004 वाके ग्राम बाढ बीलेटा तहसील राजगढ हाल रैणी को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार राजगढ हाल रैणी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बयनामा के आधार पर विधिवत सुनवाई कर एक माह में नामान्तकरण जारी करने की कार्यवाही करने की सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या0 अति0 जि0 कले0 एवं अति0 जि0 मजि0
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर